प्र0 क्र0 1177 परिशिष्ट - अ

[19/12/2019]

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र. प्रश्न सं. [क. 1177]

प्र.क्रं. / 110 /2017-18/अ-20(3)/नजूल

ग्राम बदरवास तहसील बदरवास में शासकीय महाविधालय बदरवास को भूमि सर्वे नम्बर 1047 रकबा 0.470 हे0 एवं सर्वे क्र0 1049 रकबा 0.734 कुल रकबा 1.204 हेक्टेयर भूमि भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

// आदेश //

(आज दिनांक 25/4/2018 को पारित)

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अपर संचालक वित्त उच्च शिक्षा म0प्र0 के पत्र क्रमांक /59/313/आउसि/निर्माण/शाखा-6/17 भोपाल दिनांक 24.01.18 के द्वारा नवीन शासकीय महाविधालय बदरवास के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

तहसीलदार बदरवास के प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2018 में उल्लेख किया गया है कि शासकीय महाविधालय बदरवास हेतु पूर्व में सुरक्षित की गयी भूमि सर्वे क्र0 1047 रकबा 0.470 हे0 एवं सर्वे क्र0 1049 रकबा 0.734 कुल रकबा 1.204 हेक्टेयर भूमि महाविधालय भवन निर्माण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्रेषित किया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस के प्रतिवेदन दिनांक 24.03.18 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम बदरवास तहसील बदरवास में शासकीय महाविधालय बदरवास को भूमि सर्वे नम्बर 1047 रकबा 0.470 हे0 एवं सर्वे क्र0 1049 रकबा 0.734 कुल रकबा 1.204 हेक्टेयर भूमि भवन निर्माण हेतु अनुसंशा सहित आवंटित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस तहसीलदार बदरवास के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम बदरवास तहसील बदरवास में शासकीय महाविधालय बदरवास को पूर्व से सुरक्षित भूमि सर्वे नम्बर 1047 रकबा 0.470 हे0 एवं सर्वे क्र0 1049 रकबा 0.734 कुल रकबा 1.204 हेक्टेयर भूमि शासकीय महाविधालय भवन निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन को राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-4 की कण्डिका 36 के तहत निम्न शर्तो के अधीन निःशुल्क आवंटित की जाती है :-

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावें, किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतःही निरस्त माना जावेगा।
2. आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा।

प्रकरण में संलग्न अक्श नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बदरवास आवंटित भूमि का खसरे में अमल करायें एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखित रिकार्ड किया जावे।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म.प्र.

पृ.क्रमांक/ 1033 /17-18/ अ-20(3)/नजूल/2018/ शिवपुरी दिनांक 26 /04/ 2018

प्रतिलिपि –

1-प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2-आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3- सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4- आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

5-आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

6-प्राचार्य शासकीय महाविधालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।

7- प्राचार्य शासकीय महाविधालय कोलारस की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9- तहसीलदार बदरवास की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

10-राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.